उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून
UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY DEHRADUN
पो०ऑ० चन्दनवाड़ी, सुद्धोवाला, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड
P.O. Chandanwari, Sudhowala, Dehradun-248007, U.K.
Website : www.uktech.in, Tel. : 0135-2770126, 127, 128 Fax : 0135-2770125, 130

पत्रांक/Ref.No. 18070/अस्थाई मान्यता/2013-14 दिनांक/Date 30-07-13

सेवा में,

अनु सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः 'ज्ञानी इन्दर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड, नियर मालसी डियर पार्क, पो0ओ0 सिनोला, देहरादून–248003 (उत्तराखण्ड)' को सत्र 2012–13 एवं 2013–14 हेतु B.Pharma एवं M.Pharma (Pharmaceutics) तथा सत्र 2013–14 हेतु M.Pharma (Quality Assurance) पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर निवेदन है कि 'ज्ञानी इन्दर सिंह ह्यूमन डेवलेपमेंट एण्ड एजूकेशन सोसाइटी' द्वारा 'ज्ञानी इन्दर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड, नियर मालसी डियर पार्क, पो0ओ0 सिनोला, देहरादून–248003 (उत्तराखण्ड)' नामक संस्थान संचालित है। उक्त संस्थान द्वारा सत्र 2012–13 एवं 2013–14 हेतु B.Pharma एवं M.Pharma (Pharmaceutics) तथा सत्र 2013–14 हेतु M.Pharma (Quality Assurance) पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया है। उक्त संस्थान के सत्र 2010–11 एवं 2011–12 हेतु B.Pharma एवं M.Pharma (Pharmaceutics) तथा सत्र 2012–13 हेतु M.Pharma (Quality Assurance) पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये हुए हैं, जिनकी सम्बद्धता अभी अप्राप्त है।

अब उक्त संस्थान के सत्र 2012–13 और 2013–14 हेतु B.Pharma एवं M.Pharma (Pharmaceutics) तथा सत्र 2013–14 हेतु M.Pharma (Quality Assurance) पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण पर विचार किया जाना है। 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' द्वारा अपने पत्रांक–Northern, 1-1414810797, 2013/EOA, दिनांक 19-March-2013 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त संस्थान को सत्र 2013–14 हेतु निम्नवत मान्यता प्रदान की गयी है :–

...02

Program	Shift	Level	Courses	Full/ Part Time	Intake Approved for 2013-14
Pharmacy	1st	PG	Pharmaceutics	Full	18
Pharmacy	1st	PG	Quality Assurance	Full	18
Pharmacy	1st	UG	Pharmacy	Full	60

'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' द्वारा प्राप्त मान्यता के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा एक निरीक्षण समिति का गठन कर संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने हेतु संस्थान का निरीक्षण कराया गया है। निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर अंपनी निरीक्षण आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो मूल रूप में संलग्न है। विश्वविद्यालय को प्राप्त निरीक्षण आख्या में निरीक्षण समिति द्वारा उक्त संस्थान को उपरोक्त पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की गयी है।

विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की निरीक्षण आख्या, कुलाधिपति सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाएं तथा संस्थान से सम्बन्धित वांछित अभिलेखों की प्रतियां संलग्न कर एतद्द्वारा प्रेषित की जा रही हैं।

अतः अनुरोध है कि कृपया **'ज्ञानी इन्दर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड, नियर मालसी डियर पार्क, पो0ओ0 सिनोला, देहरादून–248003 (उत्तराखण्ड)'** को 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' द्वारा जारी मान्यता तथा विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर सत्र 2012–13 और 2013–14 हेतु B.Pharma एवं M.Pharma (Pharmaceutics) तथा सत्र 2013–14 हेतु M.Pharma (Quality Assurance) पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार उनके सम्मुख अंकित सीटों के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु शासन की संस्तुति सचिव, कुलाधिपति को उपलब्ध करवाने की कृपा करें, ताकि महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा उक्त संस्थान को अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रदान करने पर विचार किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अवनीश जैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि– सचिव, कुलाधिपति, श्री राज्यपाल, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून को जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अवनीश जैन)
कुलसचिव

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A4-109 / 2016

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 26 अप्रैल, 2016

महोदय,

कृपया आपके क्रमशः पत्रांक–8549 दिनांक 02–05–2011, पत्रांक–18070 दिनांक 30–07–2013, पत्रांक–22284 दिनांक 15–11–2014 व पत्रांक–24160 दिनांक 13–07–2015 एवं तत्क्रम में शासन की पत्रावली क्रमशः सं0–98/10 (1305/XLI-1/11), सं0–71/13 (1073/XLI-2/13), सं0–72/15 (611/XLI-1/15) एवं सं0–110/15 (781/XLI-1/15) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय–5 की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान / कॉलेज को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है:–

क्र	संस्थान	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता(सीटें) / अवधि		
			सत्र 2010–11, 2011–12, 2012–13	सत्र 2013–14	सत्र 2014–15, 2015–16
1	2	3	4	5	6
1	ज्ञानी इन्द्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड़, नियर–मालसी डियर पार्क, पो0–सिनोला, देहरादून।	बी0फार्मेसी	60	60	60
		एम0फार्मा0:–			
		फार्मास्यूटिक्स	----	----	18
		क्वालिटी एस्सुरेंस	----	18	18

1. संस्थान / कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन / विश्वविद्यालय / नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3. कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशो का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश / पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

7. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कमियां परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी विश्वविद्यालय एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ-साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

10. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

11. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी।

12. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र, छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

13. पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

14. संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं संबंधित विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या-352(1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-109/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
4. तकनीकी शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
उप सचिव, श्री राज्यपाल।

AD. Sr. No= 1801
23/07/14

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A4-109 / 2014

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
विशेष कार्याधिकारी एवं कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 7 जुलाई, 2014

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या–16820 / सम्बद्धता / 2012–13, दिनांक 03–04–2013 एंव तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या–37 / 13 (634 / XLI-1/13) द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल / कुलाधिपति द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय–5 की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान / कॉलेज को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है:–

क्र. स.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (सीट)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	ज्ञानी इंदर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मंसूरी डाइवर्जन रोड, देहरादून।	M. Pharma (Quality Assurance)	18	शैक्षणिक सत्र 2012–13 हेतु

1. सत्र के प्रारम्भ में संस्थान / कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन / तकनीकी विश्वविद्यालय / नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3. कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशो का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि नियामक संस्था (AICTE), राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश / पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्व तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

क्रमश :....2 / .....

5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

7. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

8. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरूद्व विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

9. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी।

10. पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तरण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
विशेष कार्याधिकारी एवं कुलाधिपति के सचिव।

संख्या– 1037 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-109/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिग, जनपथ, नई दिल्ली।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
5. तकनीकी शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु ।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(घनश्याम शर्मा)
कुलाधिपति के उप सचिव।

A

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A4-109/2012

प्रेषक,

राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 28 जून, 2012

महोदय,

आपके पत्र संख्या–10913/सम्बद्धता/2011 दिनांक 16.02.2012 एंव तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या–26/12 (243/XLI-1/12) की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदया द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के अध्याय–5 की धारा–24 (2) एवं यथा संशोधित अधिनियम, 2009 के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए प्रथमबार अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है :-

क्र. स.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	ज्ञानी इन्द्र सिंह इन्स्टीटयूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून।	1- M. Pharmacy (Pharmaceutics)	18 सीट	शैक्षणिक वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 हेतु।

1– प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में संस्थान/कालेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

2– संस्थान/कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध मे शासन/तकनीकी विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3– शासन अथवा कुलाधिपति द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशो का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः–.....

4– संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

5– यदि नियामक संस्था (AICTE), राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्व तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

6– संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी।

7– पाठयक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तरण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

भवदीय,

ह०/

(अशोक)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव

संख्या 1079 (1)/जी०एस०/ A4-109 /2012 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2–निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली।
3–निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4–~~प्राचार्य~~/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
5–तकनीकी शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु ।
6–कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(पूनम सिंह सोबती)
वित्त नियंत्रक।